संलग्न क्र0 01

(3)

मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-1-35/99/42-1 भोपाल, दिनांक 4/5/2001

प्रति,

संचालक, तकनीकी शिक्षा,
मध्यप्रदेश-भोपाल.

विषय:- शासकीय/स्वशासी/अशासकीय पोलीटेक्निक के ग्रन्थपालों को दिनांक 1.1.84 से ए0आई0सी0टी0ई0वेतनमान देने बाबत्।

=-0-=

श्री व्ही0के0श्रीवास, एवं अन्य द्वारा दायर याचिका ओ0ए0 क्रमांक-977/99 में माननीय राज्य प्रशासनिक अधिकरण, मुख्यपीठ जबलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.5.99 के पालन में राज्य शासन शासकीय/स्वशासी/अशासकीय अनुदान प्राप्त पोलीटेक्निक संस्थाओं के ग्रन्थपालों को निम्नानुसार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई दिल्ली द्वारा अनुशंसित वेतनमान दिनांक 1.1.84 से देने की स्वीकृति प्रदान करता है:-

तत्समय प्रचलित वेतनमान	ए.आई.सी.टी.ई. अनुशंसित वेतनमान
740-15-800-20	700-40-1100-50
900-25-1000-30-1180	1300-ई.बी.-50-1600 (1.1.1984 से 31.12.1985 तक)

1.1.86 से पुनरीक्षित वेतनमान

1400-40-1440-50-2340	2200-75-2800-100-4000
कोई नहीं	3000-100-3500-125-5000 (वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान)
कोई नहीं	3700-125-4950-150-5700 (प्रवर श्रेणी वेतनमान)

क्रमशः 2/-----

2/- के संबंध ए.आई.सी.टी.ई. के द्वारा अनुशंसित ग्रंथपालों की वैज्ञानिक अर्हताओं में भारत सरकार के शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ-6-1/87/टी-एस, दिनांक 14 अप्रैल, 1988 में बताई गई शर्तें दिनांक 1.1.84 से 31.12.1985 तक के लिए स्वीकृत वेतनमान पर लागू होंगी। इसी प्रकार से 1.1.1986 से दिए जाने वाले वेतनमानों के लिए भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ-6-1/88/टी-एस, दिनांक 28 फरवरी, 1989 में बताई गई अर्हताओं की शर्तों को पूरा करना आवश्यक होगा।

3/- उपरोक्त कंडिका एक में बताये गये वेतनमान निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत किए जाते है:-

§1§ पुनरीक्षित वेतनमान उन्हीं ग्रंथपालों को दिये जायेंगे जो कंडिका 2 में बताई गई भारत सरकार के पत्र दिनांक 14 अप्रैल, 1988 एवं 28 फरवरी, 1989 में निहित अर्हताओं की शर्तों को पूरा करते हों।

§2§ कंडिका एक में बताई गई संस्थाओं के ग्रंथपालों को भारत सरकार द्वारा अनुशंसित वेतनमान रूपये 700-40-1100-50-1300 -ई.बी.-50-1600 का लाभ नोशनल तौर पर दिनांक 1.1.1984 से 31.12.1985 तक की अवधि के लिए दिया जायेगा।

§3§ उक्त वेतनमान पुनरीक्षण के फलस्वरूप होने वाला अतिरिक्त व्यय उन्ही बल्ट मदों से विकलनीय होगा जिसमें अभी तक संबंधित ग्रंन्थपालों का वेतन तथा संबंधित संस्थाओं का अनुदान व्यय विकलित किया जाता है।

4/- इस आदेश के अधीन वेतन नियतन के परिणामस्वरूप पुनरीक्षित वेतन का दिनांक 01 जून, 2001 से §अर्थात मई, 2001 का वेतन जो जून, 2001 में देय होगा§ नगद भुगतान किया जायेगा। दिनांक 1.1.1986 से या आगामी या पश्चात्वर्ती वेतन वृद्धि की तारीख से निर्धारित वेतन पर देय कुल परिलब्धियों एवं विद्यमान वेतन पर प्राप्त कुल परिलब्धियों के दिनांक से 30.4.2001 तक के अंतर की बकाया राशि को कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा किया जायेगा,

क्रमशः 3/-----

परन्तु ऐसे कर्मचारियों को, जिनकी 1.1.86 के पश्चात् तथा वेतन निर्धारण के पूर्व सेवा निवृत्ति/सेवा समाप्ति/मृत्यु हुई है और जिन्हें सामान्य भविष्य निधि का अंतिम भुगतान भी किया गया है तो ऐसी स्थिति में, बकाया राशि का भुगतान नगद किया जायेगा।

5/- ग्रंथपाल के वरिष्ठ एवं प्रवर श्रेणी वेतनमान देने के लिए वही अन्वेषण समिति अनुशंसा करेगी जो व्याख्याताओं के लिए गठित की गई है। समिति की यह जिम्मेदारी रहेगी की वे ग्रंथपाल के प्रकरणों में त्रिस्तरीय वेतनमान देने की अनुशंसा करने के पूर्व ए.आई.सी.टी.ई./यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित आवश्यक अर्हताएं सुनिश्चित करें।

6/- वास्तविक भुगतान संयुक्त संचालक, कोष द्वारा अर्हता/शैक्षणिक योग्यता/तथा वेतन निर्धारण सत्यापित कर किया जावेगा।

7/- मूलभूत नियम 23 के अन्तर्गत ऐसे ग्रंथपालों को इस आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर विकल्प प्रस्तुत करने का अधिकार होगा कि वह वर्तमान वेतनमान में रहना चाहते हैं/जो निर्धारित अवधि में विकल्प नहीं देते उनके संबंध में पुनरीक्षित वेतनमान स्वतः लागू होगा, मान लिया जायेगा।

8/- यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक- 466/ एफआर-204/चार/ब3/2001, दिनांक 14.5.01 द्वारा महालेखाकार को अग्रेषित की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(हस्ताक्षर)

(एस0बी0एस0 भदौरिया)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग।

A
14/5

::कुर्मवंशी::